

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा..... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का कालिया

द्वानाम

अप्रार्थी - श्री जकिर हुसैन जाधवा निवासी कालिया अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 41/2018

निर्णय


दिनांक 4.07.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का में अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन् 2075 में राजस्व के खासरा नम्बर 409 की किरम जे.डू. साली में रकबा 0.50238 बीघा भूमि में सुप्रादी लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ने दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का भूजा कालिया के खासरा नम्बर 409 किरम गं.मु.कालिया में रकबा 0.50238 बीघा का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा लब्ध अतिक्रमि भूमि पर किये गये अतिक्रमण का मौके से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12 रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमि रकबा 0.50238 भूमि के 0.0276 रूपये लगान का भूजा 2.00 /- अक्षरे 2.00 रूपये प्रति वर्ग फुट निर्मान दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी क्रूर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से वेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उप तहसीलदार पीलवा